दिनांक 07.11.2024
प्रेस विज्ञप्ति 09/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जा नगर</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 06.11.2024 को थाना खुर्जा नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर किसवागढ़ी मोड़ के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त गौरव घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना खुर्जा नगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित है।

इस सम्बन्ध में थाना खुर्जा नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—गौरव निवासी ग्राम शाहपुर कलां थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।

<u>बरामदगी</u>

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बरेली/थाना प्रेमनगर

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 लाख 82 हजार रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 07.11.2024 को थाना प्रेमनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आरपीएफ बैरक के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–नागर सिंह उर्फ रवि उर्फ रोहित घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–अमित उर्फ विक्की सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 लाख 82 हजार रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना प्रेमनगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना प्रेमनगर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अमित उर्फ विक्की के विरूद्ध जनपद कानपुर देहात, बरेली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग एवं अभियुक्त नागर सिंह उर्फ रवि उर्फ रोहित को जनपद उन्नाव, एटा, कानपुर देहात, बरेली, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना प्रेमनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नागर सिंह उर्फ रवि उर्फ रोहित निवासी मो0 व थाना सिविल लाइन जनपद इटावा, हालपता मो0जोगी नवादा थाना बारादरी जनपद बरेली।

2–अमित उर्फ विक्की निवासी मो0 व थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1–01 लाख 82 हजार रूपये नगद।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस।

3–01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद फतेहपुर/थाना थरियांव

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 81 हजार 410 रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 सेन्ट्रो कार आदि बरामद**

दिनांक 07.11.2024 को थाना थरियांव व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 04 अभियुक्तों 1–मो0महताब 2–तोएफ खान 3–संदीप कुमार 4–अरबाज को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 81 हजार 410 रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 सेन्ट्रो कार आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 06.11.2024 को थाना थरियांव क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना थरियांव पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना थरियांव पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मो0महताब निवासी मोहनगंज थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

2—तोएफ खान निवासी बुझवा थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

3—संदीप कुमार निवासी दीनापट्टी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

4—अरबाज निवासी हण्डौर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी

1—लूट के 81 हजार 410 रूपये नगद।

2—02 मोबाइल फोन।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

4—घटना में प्रयुक्त 01 सेन्ट्रो कार आदि।

कमिश्नरेट आगरा/थाना जगदीशपुरा

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने—चॉदी के आभूशण**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 06.11.2024 को थाना जगदीशपुरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पथोली बिचपुरी रोड पर बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त गुड्डा घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने—चॉदी के आभूषण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना जगदीशपुरा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जगदीशपुरा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना जगदीशपुरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गुड्डा निवासी किशोरपुर थाना जगदीशपुरा, कमिश्नरेट आगरा।

बरामदगी

1–चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस।

जनपद मेरठ/थाना किठौर

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटी गयी मोटर साइकिल**
- **लूटा हुआ मोबाइल फोन**
- **नगद रूपये**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 07.11.2024 को थाना किठौर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर राधना नहर पटरी के पास पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त फैजान घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूटी गयी मोटर साइकिल, लूटा हुआ मोबाइल फोन, नगद रूपये, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार के विरूद्ध जनपद हापुड़, मेरठ के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना किठौर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–फैजान निवासी मोहल्ला मिदीपाड़ा कस्बा व थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़।

बरामदगी

1—लूटी गयी मोटर साइकिल।

2—लूटा हुआ मोबाइल फोन।

3—नगद रूपये।

4—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना लिंक रोड

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के माल बिक्री के 17 हजार 400 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 06.11.2024 को थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रामपुरी रेलवे लाइन के पास चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहन सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त जतिन उर्फ सोनू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के माल बिक्री के 17 हजार 400 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके पास से बरामद रूपया चोरी के माल बिक्री से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना लिंक रोड पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—जतिन उर्फ सोनू निवासी झुग्गी सुंदर नगरी थाना नंद नगरी जनपद उत्तर पूर्वी दिल्ली।

बरामदगी

1—चोरी के माल बिक्री के 17 हजार 400 रूपये नगद।

2—01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

3—घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन।

- **जनपद श्रावस्ती/थाना इकौना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 20—20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद श्रावस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना इकौना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—पप्पू उर्फ तीर्थराज 2—जलालुद्दीन को आजीवन कारावास व 20—20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद कौशाम्बी/थाना कड़ाधाम (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 26 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना कड़ाधाम पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि, 6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त शमशेर अहमद को आजीवन कारावास व 26 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त कमल को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद औरैया/थाना ऐरवाकटरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना ऐरवाकटरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/452/506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त विजय कुमार को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना रामघाट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना रामघाट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त महाराज को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————